भारत सरकार

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 1596

उत्तर देने की तारीख : 29.07.2025

जाति आधारित भेदभाव

1596. एडवोकेट चन्द्र शेखर:

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) स्थानीय शासन में अनुसूचित जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग समुदायों के हाशिए पर होने के दस्तावेजी तथ्य के आलोक में, मंत्रालय उनको शक्तियों का हस्तांतरण करना उनकी संरचनात्मक असमानताएं जैसे भूमि अधिकार, संसाधनों तक पहुंच और जाति-आधारित भेदभाव को सक्रियता से दूर करने के लिए किस प्रकार कार्य कर रहा है;

(ख) इन समुदायों के लिए निधि उपयोग, निर्णय लेने वाले निकायों में उनके प्रतिनिधित्व और परिणामों के संबंध में अलग-अलग डेटा (2019-2024) और उनके परिणाम संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) जहां प्रतिकूल प्रभावों (जैसे, अभिजात वर्ग का कब्जा या उनका बहिष्कार) की पहचान किए जाने की स्थिति में क्या सुधारात्मक उपाय किए जाते हैं, और ऐसी विफलताओं को रोकने के लिए प्रणालीगत सुरक्षा उपायों हेतु समय-सीमा क्या है?

उत्तर

सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री

(श्री रामदास आठवले)

(क) से (ग): भारत के संविधान में किए गए प्रावधानों के अतिरिक्त, विभिन्न कानूनों और नियमों में भूमि अधिकार, संसाधनों तक पहुंच और लाभवंचित समुदायों के जाति-आधारित भेदभाव को दूर करने के लिए कानूनी और संस्थागत तंत्र की व्यवस्था की गई है। चूंकि भूमि राज्य का विषय है, कई राज्यों में राज्य-विशिष्ट भूमि राजस्व कोड और नियम हैं जो लाभवंचित समुदायों के भूमि अधिकारों की सुरक्षा प्रदान करते हैं।

दो केंद्रीय अधिनियम बनाए गए हैं, अर्थात् सिविल अधिकार संरक्षण {पीसीआर} अधिनियम, 1955, जो 'अस्पृश्यता' की प्रथा से उत्पन्न किसी भी निर्योग्यता के प्रवर्तन के लिए दंड निर्धारित करता है तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) {पीओए} अधिनियम, 1989, जो अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) के सदस्यों के खिलाफ अत्याचार के अपराधों को रोकने के लिए है।

संविधान के प्रावधानों में पंचायत, नगरपालिका, राज्य और केन्द्र स्तर पर निर्वाचित निर्णय लेने वाले निकायों में लाभवंचित समुदायों के लिए सीटों के आरक्षण का प्रावधान है। सरकार ने शैक्षणिक संस्थानों और सरकारी नौकरियों में लाभवंचित समुदायों के लिए सीटें आरक्षित करने की नीति भी लागू की है।

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना क्रमशः अनुसूचित जातियों (एससी) और पिछड़े वर्गों के कल्याण की सुरक्षा और संवर्धन के लिए की गई है। सरकारी नीतियों, कार्यक्रमों और इन सुरक्षा उपायों के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए संसदीय स्थायी समितियों का गठन किया गया है। संसदीय समितियों के अलावा, विभागीय समितियां (मंत्रालयों और विभागों के अंतर्गत) भी हैं, जिन्हें विशेष रूप से इन समुदायों के लिए कल्याणकारी उपायों और सुरक्षा उपायों की निगरानी और कार्यान्वयन का कार्य सौंपा गया है।

अनुसूचित जातियों के लिए विकास कार्य योजना (डीएपीएससी) का उद्देश्य आय-सृजन, कल्याण और विकासात्मक योजनाओं के लिए लक्षित निधियां निर्धारित करके अनुसूचित जाति के गरीब परिवारों के समग्र विकास को बढ़ावा देना है। इसका लक्ष्य अनुसूचित जातियों और अन्य लोगों के बीच सामाजिक-आर्थिक असमानताओं को पाटना तथा समावेशी और न्यायसंगत विकास को बढ़ावा देना है। वर्ष 2019-2024 तक डीएपीएससी के अंतर्गत निधियों का उपयोग निम्नानुसार हुआ है:

(रुपए करोड़ में)

वर्ष	सभी मंत्रालयों/विभागों के डीएपीएससी (पूर्ववर्ती एडब्ल्यूएससी/एससीएसपी)		उपयोग	अप्रयुक्त राशि	उपयोग का प्रतिशत
	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान			
2019-20	81,340.74	72,936.29	61,894.10	11042.19	84.86
2020-21	83,256.62	82,707.51	62,785.16	19922.35	75.91
2021-22	1,26,259.20	1,39,956.42	1,23,009.63	16946.79	87.89
2022-23	1,42,342.36	1,52,604.29	1,38,639.28	13965.01	90.85
2023-24	1,59,126.22	1,46,861.08	1,35,178.59	11682.49	92.05

*****